कार्यालय प्रधानाचार्यः राजकीय मेडिकल कालेज, बॉंदा।

पत्र संख्याः रा0चि0वि0/2021/2122 दिनांकः–07.09.2021

:::राजकीय मेडिकल कालेज, बॉंदा में संविदा के आधार पर आचार्य, सह–आचार्य, सहा0 आचार्य एवं सीनियर रेजीडेन्ट एवं जूनियर रेजीडेन्टस/प्रदर्शक के पदों पर सेवायोजन हेतु विज्ञप्तिः–

शासनादेश संख्या–3225/71–1–2014–जी0–560/2012 दिनांक– 2 जून 2014 एवं उक्त शासनादेश के क्रम मे समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेश संख्या–2589/71–1–2016–जी0–560/2012 दिनांक 20/12/2016 के अनुपालन में एवं इस कार्यालय के पत्र विज्ञप्ति पंत्र संख्या–रा0चि0वि0/2020/3055, दिनांक–12.10.2019 द्वारा दैनिक सामाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम में इस चिकित्सा महाविद्यालय के विभिन्न विशिष्टताओं में आचार्यो, सह–आचार्यो, सहायक आचार्यो एवं रेजीडेन्टसों/प्रदर्शको के पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु आवेदन पत्र एतद्वारा आमंत्रित किये जाते हैं। इन पदों पर वाक–इन–इन्टरव्यू **(Walk-in-Interview)** के माध्यम से कालेज स्तर से संस्तुति के आधार पर शासन/महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ के स्तर से चयन किया जाना है। संविदा पदों पर अन्तिम चयन की प्रक्रिया शासन/महानिदेशालय के द्वारा की जानी है। इच्छुक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह साक्षात्कार के समय अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ **दिनांक–15.09.2021 से 25.09.2021 को प्रधानाचार्य कार्यालय, राजकीय मेडिकल कालेज, बॉंदा में समय प्रातः 10 बजे से सांय 3 बजे के मध्य उपस्थित हों।** रिक्त पदों की संख्या नीचे तालिका में दर्शायी जा रही है। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि वह साक्षात्कार दिवस को अपने समस्त शैक्षिक/जाति/अनुभव-प्रमाण पत्रों/शोध पत्रों की (स्वप्रमाणित) छायाप्रतियों के दो सेट बायोडाटा सहित उपस्थित होंगे। शासन द्वारा आरक्षण के सम्बन्ध में 100 बिन्दु रोस्टर एवं शासनादेश संख्या–5/2019/4/11/2002/क–2/2019/टी0सी0–1 दिनांक–13 अगस्त, 2019 के आधार पर ही चयन की प्रक्रिया की जायेगी।

राजकीय मेडिकल कालेज, बॉंदा में संविदा पर चयन हेतु चिकित्सा शिक्षकों के रिक्त पदों की स्थिति

क्र0 सं0	विशिष्टता का नाम	विशिष्टता का नाम अंग्रेजी	राजकीय मेडिकल कालेज, बॉंदा					
			आचार्य	सह–आचार्य	सहा0 आचार्य	सीनियर रेजिडेन्ट	जे0आर0	प्रदर्शक/ट्यूटर
1	आर्थोपेडिक्स	Orthopedics	1(SC)	0	0	-	2(UR,OBC)	-
2	ऑपथैल्मोलॉजी	Opthalmology	0	0	0	-	1(EWS)	-
3	आब्स0 एण्ड गायनो0	OBG & Gyne	1(OBC)	1(OBC)	0	-	3(SC,OBC,UR)	-
4	एनाटमी	Anatomy	1(EWS)	0	0	0	-	4(UR,OBC, EWS,SC)
5	एनेस्थीसियोलॉजी	Anesthesiology	0	1(UR)	0	0	3(SC,UR,OBC)	-
6	ओटो–राइनो–लैरिगों0	Oto-Rhino Lary.	0	0	0	-	1(UR)	-
7	कम्यु0 मेडिसिन	Commu. Med.	0	-	3(SC,UR OBC)	0		**Statician cum Tutor-1(SC)** 2(UR,OBC)
8	जनरल मेडिसिन	General Medi.	1(OBC)	0	0	3 (EWS SC/UR)	7(OBC,EWS,SC, UR,OBC,UR,SC)	-
9	जनरल सर्जरी	General Surgery	1(UR)	1(OBC)	0	2 (OBC,UR)	7(SC,UR,SC,EWS OBC,SC,UR)	-
10	टयूबरकुलोसिस	Tuberculosis	0	0	1(EWS)	1(SC)	1(OBC)	-
11	डर्मेटोलॉजी	Dermatology	0	0	1(SC)	1(EWS)	1(UR)	-
12	डेन्टल	Dental	0	0	0	0	1(OBC)	-
13	पीडियाट्रिक्स	Paediatric	1(UR)	0	1(UR)	0	2(UR,SC)	-
14	पैथोलॉजी	Pathology (Blood Bank)	1(SC)	1(UR)	2(SC, OBC)	0	-	03(UR,OBC OBC)
15	फार्माक्लॉजी	Pharmacology	1(UR)	1(OBC)	0	0	-	2(EWS, SC)
16	फिजियोलॉजी	Physiology	1(SC)	1(EWS)	0	0	-	3(UR,OBC SC)
17	फोरे0 मेडिसिन	Forn. Medicine	-	-	-	-	-	1(UR)
18	बायोकेमिस्ट्री	Biochemistry	1(OBC)	0	0	0	-	2(EWS,OBC SC)
19	माइक्रोबायलॉजी	Microbiology	1(UR)	1(OBC)	0	0	-	2(UR)
20	रेडियो– डायग्नोसिस	Radio-Diagnosis	0	1(UR)	1(UR)	2 (SC,UR)	-	-
21	साइकियेट्री	Psychaitry	0	0	0	1 (UR)	1(EWS)	-
	योग–		11	08	09	10	30	20

नोट–शासन द्वारा आरक्षण रोस्टर के आधार पर ही चयन की प्रकिया की जायेगी एवं पदों की संख्या घट–बढ़ सकती है तथा प्रदर्शक (ट्यूटर/डिमान्सट्रेटर) के पद हेतु एन0एम0सी0/एम0सी0आई0 मानकों के अनुसार एम0बी0बी0एस0 अभ्यर्थी ही मान्य होगें, जिनकी आयू–40 वर्श से कम हो।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अजधसूचना नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2020 के नियमों अनुसार किया जायेगा। जो निम्नवत् है–

In department of Anatomy, Physiology, Biochemistry, non-medical teachers may be appointed to the extent of 15%of the total number of posts in the department subject to non-availability of medical teachers. The above mentioned non-medical teachers and the Statistician in the department of Community Medicine should possess qualification in that particular subject from a recognized university as per requirements in Teacher Eligibility Qualification Regulations.

(डा0 मुकेश यादव)
प्रधानाचार्य,

उक्त पदों पर नियमानुसार आरक्षण लागू होगा संविदा पर नियुक्ति की शर्तें निम्नवत् है:–

1. संविदा पर नियक्ति किये जाने वाले आचार्यो का नियम **(मेडिकल कालेज से सेवानिवृत्त आचार्य को शासनादेश संख्या–250/2018/4067/71–1–2017–जी0–63/2008 द्वारा निर्गत शर्तों अनुसार वेतन रू0–220,000 दिये जायेगा)** वेतन रू0 1,35,000/– सह–आचार्यो का नियत वेतन रू0 1,20,000/– तथा सहायक आचार्य का नियत वेतन रू0 90,000/– एस0आर0 का नियत वेतन रू0–97,000/– के लगभग एवं जे0आर0/प्रदर्शक का नियत वेतन रू0–78,000/– प्रतिमाह है। इस हेतु आवेदक को **Medical Council of India, Minimum, Qualification for teachers in Medical Institutions Regulations, 1999** द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हतायें एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
2. **चिकित्सा शिक्षकों के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु 68 वर्ष आचार्य, 64 वर्श सह आचार्य, 60–62 वर्ष सहायक आचार्य(शर्ते लागु) के आयु सीमा के अभ्यर्थी अभ्यर्थन कर सकते है।**
3. **सीनियर रेजीडेन्टस/जुनियर रेजीडेन्टस के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु 45 वर्ष से कम आयु सीमा के अभ्यर्थी अभ्यर्थन कर सकते है। एस0आर0/जे0आर0 के वेतन मे भी वृद्धि करदी गयी है।**
4. एन0एम0सी0/एम0सी0आई0 नई दिल्ली द्वारा सहायक–आचार्य पद के लिये 01 वर्ष का एस0आर0 का अनुभव होना अनिवार्य होगा।
5. चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव उ0प्र0 राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2005 में निहित के अनुसार होगी।
6. ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रेक्टिस नहीं करेगें।
7. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने का स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
8. कोई भी चिकित्सा शिक्षक मरीजों को प्राइवेट में देखने के लिये बाध्य नहीं करेगा।
9. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिये हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
10. उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होगें।
11. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी समाप्त की जा सकती है।
12. चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष का होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी सन्तोषजनक सेवा के आधार पर सेवाकाल पुनः बढ़ाया जा सकेगा।

13. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिये आवश्यक होगा कि वह करार के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षक को कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ को तत्काल भेजी जायेगी।

14. संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष और किसी भी समय एक माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।

15. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा/शपथ पत्र प्रस्तुत करेगें कि उनके विरूद्ध मा0 न्यायालय में कोई अपराधिक वाद प्रचलित नहीं है और यदि उनके विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।

16. कोविड–19 महामारी को दृष्टिगत आरक्षित श्रेणी के एस0आर0/जे0आर0 उपलब्ध न होने की दशा में अन्य श्रेणी के अभ्यर्थी से भर लिया जायेगा।

17. उक्त संविदा पदों पर चयन की प्रक्रिया प्रधानाचार्य की संस्तुति के आधार पर शासन/महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से की जानी है। अन्तिम चयन की प्रक्रिया शासन/महानिदेशालय में ही निहित होगी।

18. पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।

19. प्रोविजनल डिग्री/रेजीस्ट्रेशन 06 माह से अधिक की मान्य नहीं होगी।

20. उक्त पदों पर शासन के नियमानुसार आरक्षण लागू होगा। सीनियर रेजीडेन्ट/जूनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर के पदों पर चयन की प्रक्रिया वर्तमान में संस्था में प्रचलित नियमों एवं यथा समय एन0एम0सी0/एम0सी0आई0 द्वारा जारी किये गये संशोधनों के क्रम में राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों के अधीन होगी।

21. यदि कोई चिकित्सा शिक्षक/एस0आर0/जे0आर0 पूर्व से ही किसी संस्थान में कार्यरत है, तो साक्षात्कार हेतु सम्बन्धित संस्थान से अनुभव एवं रिलीविंग पत्र अन्नापति प्रमाण–पत्र लेकर उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

नोट– साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

M.yadav

(डा0 मुकेश यादव)
प्रधानाचार्य,

पत्रांक–रा0चि0वि0/2021 तद्दिनांक–

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को महानिदेशालय की बेवसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।
3. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, बाँदा।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उ0प्र0, सूचना भवन, पार्क रोड, लखनऊ–226 001
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाँदा।
6. प्रधानाचार्य,मेडिकल कालेज कानपुर/मेरठ/आगरा/झांसी/गोरखपुर/प्रयागराज/अम्बेडकर नगर/कन्नौज/जालौन/आजमगढ़/सहारनपुर/बदायूं।
7. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, राजकीय मेडिकल कालेज बाँदा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को कालेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करे।
8. समस्त सदस्य चयन समिति एस0आर0/जे0आर0 राजकीय मेडिकल कालेज, बाँदा।
9. राजकीय मेडिकल कालेज, बाँदा के नोटिस बोर्ड/सूचना पट् हेतु।

(डा0 मुकेश यादव)
प्रधानाचार्य,